मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04 सितम्बर, 2017 को आयोजित एयरपोर्ट्स की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः-

उपस्थिति-

1. श्री उदय राज सिंह, नगर आयुक्त, लखनऊ।
2. श्री बलराम सिंह, ए0डी0एम0 (एल./आर.)
3. श्री पप्पू गुप्ता, ए0डी0एम0, झांसी।
4. श्री बृजेन्द्र द्विवेदी, एस0एल0ए0ओ0, फैजाबाद।
5. श्री हरीश शर्मा, जी0एम0 (टी0), एन.एच.ए.आई., आर.ओ., लखनऊ।
6. श्री अभिषेक आनन्दी, एस0डी0एम0, कानपुर।
7. श्री विनोद कुमार पुनियाल, संयुक्त महाप्रबन्धक (प्लानिंग), भा0वि0प्रा0 मुख्यालय।
8. श्री ए0के0 शर्मा, ए0पी0डी0, लखनऊ।
9. श्री राकेश कालरा, रीजनल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नार्दर्न रीजन, दिल्ली।
10. श्री सूरज श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर।
11. श्री राज कमल यादव, एस.ओ.सी., ललितपुर।
12. श्री राम जी लाल, डिप्टी कलेक्टर, मुरादाबाद।
13. श्री एम.पी. सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ।
14. श्री प्रकाश गुप्त, ए0डी0एम0(ई0)।
15. श्री मनोज कुमार, ए0डी0एम0(एल.ए.), नोएडा।
16. श्री आर. विक्रम सिंह, डी0एम0, बरेली।
17. श्री एस.एन. उपाध्याय, ए0डी0एम0(ई0)
18. श्री नगेन्द्र शर्मा, ए0डी0एम0(एल.ए.), आगरा।

(A) लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सम्बन्ध में:

1. एयरपोर्ट पर रनवे विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित 16.59 एकड़ भूमि की लागत रु0 500 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था एवं भूमि का क्रयः

[redacted]

दिनांक 30 जून, 2017 की बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निर्देश दिए गए थे कि लखनऊ एयरपोर्ट पर उपलब्ध अप्रयुक्त भूमि के monetization की सम्भावनाओं का अध्ययन कराएं, ताकि इससे प्राप्त धनराशि से विस्तारीकरण के लिए आवश्यक भूमि की पूर्ण/आंशिक वित्तीय व्यवस्था की जा सके; किन्तु बैठक में स्पष्ट हुआ कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वयं के पास उपलब्ध अप्रयुक्त भूमि का एक पक्ष में ऑकलन कर लिया जाए कि कितनी भूमि aviation related commercial activities or extra activities हेतु चिन्हित की जा सकती है? और इस भूमि को monetize करने से कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है। इसका अध्ययन कराते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपनी संस्तुतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाएं। यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल नागरिक उड्डयन विभाग इस भूमि के क्रय की कार्यवाही अपने स्रोतों से प्रारम्भ कर लें।

2. शहीद पथ से एयरपोर्ट को जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्गः

इस हेतु गठित समिति ने अपना प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया है, जिस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सहमति दी जानी है। यह निर्णय लिया गया कि सहमति के उपरान्त इस हेतु आवश्यक भूमि में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को राज्य सरकार के PWD विभाग को long term lease पर दिया जाए तथा निजी भूमि राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार क्रय करते हुए PWD विभाग को हस्तान्तरित की जाएगी; तदुपरान्त PWD विभाग अपने स्रोतों से इस मार्ग का निर्माण कराएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अपेक्षा की गई कि प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेकर निदेशक, नागरिक उड्डयन को सूचित किया जाए।

3. ग्राम भक्तिखेड़ा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करानाः

यह निर्णय लिया गया कि इस भूमि पर अवैध रूप से निवासित लगभग 200 परिवारों को विस्थापित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा यथा-आवश्यक NGO आदि के सहयोग से विलम्बतम एक माह में एक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें कांशीराम आवास योजना, ग्रामीण विकास विभाग, SUDA, नगर विकास विभाग तथा आवास विकास विभाग में संचालित आवास योजनाओं के माध्यम से विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जा सकता है।

4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि का नामान्तरण (Mutation of land):

किसानों एवं उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में से अवशेष भूमि, जिस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नाम दर्ज होना है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वास्तविक अवशेष भूमि का गाटा

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-वार-ब्यौरा अभिलेखों सहित 07 दिन के भीतर जिलाधिकारी को सौंप दे; तत्पश्चात जिलाधिकारी शीघ्र इस अवशेष भूमि के नामान्तरण की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए निदेशक, नागरिक उड्डयन तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करें।

5. लखनऊ एयरपोर्ट पर जल निकासी की समस्याः

यह निर्णय लिया गया कि निदेशक, नागरिक उड्डयन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए तथा इस समिति में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, एयरपोर्ट डायरेक्टर लखनऊ, नगर आयुक्त, लखनऊ तथा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, लखनऊ को सम्मिलित किया जाए। यह समिति लखनऊ एयरपोर्ट पर जलभराव के स्थाई समाधान के सम्बन्ध में अपनी आख्या विलम्बतम एक माह में उपलब्ध कराएगी।

(B) वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण:

6. एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु लगभग 350 एकड़ अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु लगभग रु0 6000 करोड़ की आवश्यकता बताई गई थी। यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, वाराणसी इस प्रस्ताव हेतु धनराशि की आवश्यकता का ऑकलन कर एक माह में अवगत कराएं।

7. पूर्व में निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार की ओर से वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के उद्देश्य से सम्भावनाओं पर विचार किया जाए और वाराणसी, संत रविदास नगर (भदोही) तथा जौनपुर के जिलाधिकारियों से वर्तमान एयरपोर्ट के parallel आवश्यक 3000 एकड़ भूमि चिन्हित करने हेतु अनुरोध किया जाए। यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभी अधिकारियों से पुनः अनुरोध किया जाए तथा ऑकलन भी करा लिया जाए कि ऐसी चिन्हित भूमि के क्रय के लिए लगभग कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

8. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्तारीकरण हेतु वर्तमान एयरपोर्ट पर अण्डरपास बनाए जाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शीघ्र इस सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए राज्य सरकार को अवगत कराएं कि अण्डरपास बनाया जाना सम्भव होगा अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के अलाइनमेन्ट को परिवर्तित करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अलाइनमेन्ट को परिवर्तित करने की

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक भूमि का चिन्हांकन करते हुए जिलाधिकारी, वाराणसी को सम्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए जिस पर जिलाधिकारी द्वारा लागत का ऑकलन किया जा सके।

(C) आगरा सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट का निर्माणः

9. MoU के अनुसार आवश्यक भूमि 55.29 है0 हेतु समस्त धनराशि (रु0 153.67 करोड़) जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, आगरा शीघ्रातिशीघ्र भूमि क्रय कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें तथा भूमि क्रय और हस्तान्तरण की सूचना साप्ताहिक तौर पर निदेशक, नागरिक उड्डयन को उपलब्ध कराते रहें। यह निर्णय भी लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भूमि की उपलब्धता के आधार पर तत्काल कब्जा प्राप्त कर आगे की कार्यवाहियां प्रारम्भ करे।

10. यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन RCS की first bidding में जिन एयरलाइन्स के द्वारा आगरा से वायु सेवा प्रारम्भ की जानी थी, उनसे सम्पर्क स्थापित कर वायु सेवा प्रारम्भ कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।

11. आगरा सिविल टर्मिनल के शिलान्यास का लक्ष्य दिसम्बर, 2017 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

(D) इलाहाबाद सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट का निर्माण तथा **ILS Cat-1** हेतु भूमि की आवश्यकताः

12. इलाहाबाद सिविल एन्क्लेव बनाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा GoUP के मध्य MoU के अनुसार आवश्यक भूमि 30.39 है0 हेतु आवश्यक रु0 289 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, इलाहाबाद को अवमुक्त की जा चुकी है। यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से सभी पक्षों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि क्रय की कार्यवाही को सम्पादित कराएं तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते रहें।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिए गएः-

- इलाहाबाद सिविल टर्मिनल के लोकार्पण का लक्ष्य अक्टूबर, 2018।

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- सेना की 7.7 है0 भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही सम्पन्न कराएं।
- जिलाधिकारी, इलाहाबाद तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन RCS की first bidding में जिन एयरलाइन्स के द्वारा इलाहाबाद से वायु सेवा प्रारम्भ की जानी थी, उनसे सम्पर्क स्थापित करें तथा वायु सेवा प्रारम्भ कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।
- ILS Cat-1 हेतु मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार रक्षा सचिव व मुख्य सचिव की संयुक्त बैठक की प्रतीक्षा करने एवं उसमें लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

(E) कानपुर सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट का निर्माणः

13. MoU के अनुसार वांछित समस्त 50 एकड़ भूमि के क्रय हेतु आवश्यक धनराशि रू0 82.24 करोड़ शासन से जिलाधिकारी के पक्ष में जारी की जा चुकी है। यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, अपने स्तर से सभी पक्षों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि क्रय की कार्यवाही को सम्पादित कराएं।

14. कानपुर सिविल टर्मिनल के शिलान्यास का लक्ष्य दिसम्बर, 2017 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

15. यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन RCS की first bidding में जिन एयरलाइन्स के द्वारा कानपुर से वायु सेवा प्रारम्भ की जानी थी, उनसे सम्पर्क स्थापित करें तथा वायु सेवा प्रारम्भ कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।

(F) बरेली सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट का निर्माणः

16. MoU के अनुसार वांछित समस्त 13.395763 है0 भूमि के क्रय हेतु आवश्यक सम्पूर्ण धनराशि रू0 60.89 करोड़ शासन से जिलाधिकारी के पक्ष में जारी की जा चुकी है तथा सम्पूर्ण भूमि क्रय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित की जा चुकी है। बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी, बरेली से अपेक्षा की गई कि वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे सिविल एन्क्लेव के निर्माण कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते रहें।

17. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से बरेली एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की बाउण्ड्रीवाल, जो जिग-जैग हो गई है, को सीधा कराने के लिए

6/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.27 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी के पास उपलब्ध धनराशि का उपयोग करते हुए इस भूमि को क्रय करने के आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त जारी किए जाएं। यह निर्णय भी लिया गया कि जिलाधिकारी, बरेली अपने स्तर से सभी पक्षों से समन्वय स्थापित करते हुए अतिरिक्त भूमि के क्रय की कार्यवाही को यथाशीघ्र सम्पादित कराएं।

(G) गोरखपुर एयरपोर्टः

18. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि गोरखपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट से लगी हुई लगभग 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, गोरखपुर इस भूमि को विलम्बतम एक माह में चिन्हित कर अपनी आख्या उपलब्ध कराएं।

(H) मुरादाबाद, मेरठ, फैजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी, आजमगढ़, सोनभद्र,श्रावस्ती, चित्रकूट एयरपोर्टः

19. उत्तर प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियां जो वर्तमान में संचालित हैं को RCS की Bidding में सफल होने पर No-Frills एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए विचार किया जाएगा।

20. यह निर्णय लिया गया कि निदेशक, नागरिक उड्डयन लखनऊ से प्रत्येक मण्डल के लिए वायु सेवा प्रारम्भ करने के लिए मण्डल में स्थित हवाई पट्टियों को No-Frills एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु एक मॉडल एस्टीमेट तैयार कराएं।

(I) कुशीनगर एयरपोर्टः

21. यह निर्णय लिया गया कि कुशीनगर एयरपोर्ट के सम्बन्ध में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग से समन्वय करके कुशीनगर से लुम्बिनी और सारनाथ आदि को जोड़ते हुए एक बुद्धिस्ट सर्किट तैयार करने हेतु एक कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति कर रिपोर्ट प्राप्त करके सुझाव प्राप्त कर लिए जाएं और तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

(J) जेवर ग्रीन फील्ड इन्टरनेशनल एयरपोर्टः

22. जेवर एयरपोर्ट के लिए आवश्यक भूमि क्रय करने के लिए भूमि का चिन्हांकन और

7/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उसकी लागत का आकलन करने की कार्यवाही 'यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण' द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से समन्वय करते हुए तत्काल प्रारम्भ की जाए।

23. जेवर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि क्रय हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही प्रश्नगत प्रयोजन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के प्रबन्ध हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी प्रयास किए जाएं।

24. ओ0एल0एस0 सर्वे में प्रस्तावित एयरपोर्ट स्थल से हटाए जाने हेतु चिन्हित परिसम्पत्तियों और संरचनाओं की विभागवार सूची तैयार करने का कार्य 'यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण' द्वारा राइट्स लिमिटेड के साथ समन्वय करते हुए तत्काल प्रारम्भ किया जाए।

25. चिन्हित परिसम्पत्तियों एवं संरचनाओं के विस्थापन हेतु व्यय का ऑकलन सम्बन्धित विभाग के स्तर से शीघ्रतापूर्वक करके विवरण नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्नगत विस्थापन से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाएगा। इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु अपेक्षित धनराशि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी।

26. जेवर एयरपोर्ट के विकास से पूर्व प्रश्नगत परियोजना को अर्थक्षम viable बनाने के लिए नई दिल्ली के मुख्य क्षेत्रों से एयरपोर्ट स्थल की समुचित सम्पर्कता हेतु निर्बाध Elevated Road का विकास शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कराने का अनुरोध पूर्व में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। मुख्य सचिव स्तर से इस हेतु एक फालो-अप पत्र प्रेषित किया जाए।

27. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा जेवर एयरपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु गतिविधियों की एक सूची तैयार की जाए और उस पर सतत अनुश्रवण किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

8/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन।
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 63/2017/1388/छप्पन-2017-08/13
लखनऊ : दिनांक : 14 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
7. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
9. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।